रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 2012/चैत्र 20, 1934
No. 91] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 2012/CHAITRA 20, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2012

विषय : यूएई और ईरान मूल के या वहाँ से निर्यातित "सफेद सीमेंट" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जाँच सनसेट रिव्यू की शुरुआत ।

सं. 15/13/2011-डीजीएडी.— यतः समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, पाटित वस्तुओं पर पाटन शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतद्पश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने यूएई और ईरान (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश का गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित "सफेद सीमेंट" (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) पर दिनांक 30 अगस्त,2001 की अधिसूचना सं. 64/1/2000-डीजीएडी के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क लगाने की मूलतः सिफारिश की थी । यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की पहली सनसेट समीक्षा करने पर प्राधिकारी ने दिनांक 27 फरवरी,2007 की अधिसूचना सं. 15/6/2005-डीजीएडी के तहत पाटनरोधी शुल्क और पांच वर्षों तक बढ़ाने की सिफारिश की थी और यतः वित्त मंत्रालय ने दिनांक 12 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना सं. 56/2007-सीमाशुल्क के तहत इस सिफारिश को कार्यान्वित किया था ।

2. यतः मै0 जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स (जे.के. सीमेंट लि0 की एक यूनिट) तथा बिरला व्हाइट (अल्ट्रा टेक सीमें लिमि. की एक यूनिट) {जिन्हें एतद्पश्चात "याचिकाकर्ता कम्पनियाँ " या "याचिकाकर्ता" कहा गया है } ने ईरान एवं यूएई से सफेद सीमेंट के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसे बढ़ाने के लिए संगत वित्तीय जानकारी प्रदान कराई थी । यह याचिका निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित ढंग एवं प्ररूप में है और इसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य है । इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ताओं ने निवेदन किया है कि याचिका में निहित जानकारी सनसेट रिव्यू जाँच शुरू करने को पूर्णतः न्यायोचित ठहराती है ।

3. घरेलू उद्योग और स्थिति

यह याचिका जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स और बिरला व्हाइट (जिसे याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता कम्पनियां कहा गया है) द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का 99.10% बनता और अतः भारतीय उत्पादन में उनका बड़ा भाग बनता है । उपर्युक्त के मद्देनजर यह उल्लेख किया जाता है कि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका दायर करने की सभी अपेक्षाएं पूरी करते हैं और याचिकाकर्ता कम्पनियाँ पाटनरोधी नियमावली के अनुसार "घरेलू उद्योग " संघटित करती हैं । इसके अतिरिक्त मौजूदा जॉच, सनसेट रिव्यू जाँच होने के कारण याचिकाकर्ता के आधार पर मुद्दा संगत नहीं है ।

विचाराधीन उत्पाद

विचाराधीन उत्पाद सफेद सीमेंट है । मूल पाटनरोधी जाँच के दिनांक 30 अगस्त, 2001 के अंतिम निष्कर्ष में और तदुपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27 फरवरी,2007 के अंतिम निष्कर्षों में सम्पुष्ट, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को निम्नवत परिभाषित किया है:-

> "विचाराधीन उत्पाद सफेद पोर्टलैण्ड सीमेंट है जिसे सामान्यतः सफेद सीमेंट के रूप से जाना जाता है । सफेद सीमेंट निर्माण सामग्री है और यह प्राथमिकतः गैर-ढांचागत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है । यह वस्तुनिर्माण उद्देश्यों के लिए, फ्लोरिंग टाइल्स, सीमेंट आधारित बाह्य पेंट और सीमेंट वाश (व्हाइट वाश) के लिए प्रयोग किया जाता है । सफेद सीमेंट में घुलनशील अल्कलीज की अल्प मात्रा होती है और इससे धब्बे नहीं पड़ते हं । सफेद सीमेंट को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (अधिनियम की धारा 5 जिसमें खनिज उत्पाद है) के अध्याय-25 के उपशीर्षक 2523.21 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है । तथापि, सीमाशुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह मौजूदा जॉच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं हैं ।"

चूँकि मौजूदा जाँच एक पुनरीक्षा जाँच है इसलिए विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा वही रहेगी जो मूल जाँच में थी । इस अवधि के दौरान इस उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है ।

5. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देशों द्वारा आयातित उत्पादों से तकनीकी एवं भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं तकनीक, कार्यों एवं प्रयोगों उत्पाद विनिर्देशनो, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन टैरिफ वर्गीकरण जेसी विशेषताओं के रूप में समान वस्तुएँ है । दायर याचिका प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे बनाए रखने और उसका संवर्धन करने तथा पिछली जाँच में पहले से निस्तारित समान मदों के मुद्दों से संबंधित है ।

6. शामिल देश

मौजूदा जाँच में शामिल देश/भू-क्षेत्र ईरान और यूएई है (जिन्हें संबद्ध देश कहा गया है)

7. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने यूएई की घरेलू बाजार में प्रचलित कीमत का बिक्री बीजक उपलब्ध कराया है । यूएई में सामान्य मूल्य बीजकों में भारित औसत कीमत के आधार पर किया गया है । बीजकों में प्रदर्शित कीमत बल्क कीमत है । इस बिक्री कीमत को किसी अन्य व्यय के लिए समायोजित नहीं किया गया है । याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सामान्य मूल्य दावों पर जाँच प्रारम्भ करने के उद्देश्य से विचार किया गया है ।

8. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने भारत में आयातों का मूल्य एवं उनकी मात्रा का आकलन करने के लिए एक्सिमनेट इण्डिया काम् के आंकड़ों को प्रस्तुत किया है । निर्यात कीमत का निर्धारण आयात कीमत के भारित औसत के आधार पर किया गया है । निवल निर्यात कीमत का आकलन करने के लिए कीमत समायोजन, सामुद्रित किराया, सामुद्रिक बीमा, कमीशन और पत्तन व्यय का समायोजन किया गया है ।

9. पाटन मार्जिन

याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य का पर्याप्त साक्ष्य प्रदान किया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश में उत्पादित या वहाँ से निर्यात संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी जाँच की सनसेट समीक्षा की शुरूआत करना न्यायोचित है ।

10. शुरूआत

इस प्रकार पर्याप्त रूप से विधिवत दायर आवेदन के मद्देनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा यह पुनरीक्षा करने के लिए कि संबद्ध देशों के मूल या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में लागू शुल्कों का अधिरोपण जारी रखना आवश्यक है और क्या शुल्क समाप्त करने से पाटन जारी रहने या पाटन पुनः घटित होने और घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है मध्यावधि जाँच समीक्षा की शुरूआत करते हैं ।

11. जाँच की अवधि

मौजूदा जाँच के उद्देश्यों के लिए जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर,2011 होगी । तथापि, क्षति का विश्लेषण करने के उद्देश्यों के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात अप्रैल, 08-मार्च, 09, अप्रैल, 09-मार्च, 10, अप्रैल,10 से मार्च, 11 और प्रस्तावित जाँच अवधि पर विचार किया गया है । भौतिक क्षति के लिए जाँच की अवधि से परे के आंकड़ों की भी जाँच की जा सकती है ।

सूचना प्रस्तुत करना

12. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप एवं ढंग से संगत सूचना उपलब्ध कराने तथा अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है । अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से निम्नलिखित पते पर लिखित में जांच से संगत निवेदन कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110107

13. समय सीमा

इस जाँच से संबधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए जिससे की यह इस अधिसूचना के प्रारंभ की तारीख से प्राधिकारी के उपर्युक्त पते पर 40 दिनों के भीतर पहुंच

जाए । यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

14. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

सभी हितबद्ध पक्षकार उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) में दी गई शर्तों के अनुसार गोपनीय एवं एक अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे । गोपनीय सूचना का अगोपनीय अंश अथवा अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत हो जिससे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की एक अर्थपूर्ण समझ प्राप्त हो सके । यदि सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

उपर्युक्त पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य या सारांश रूप में उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं ।

15. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसरण में प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं । कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

1284 GI/12-2

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 9th April, 2012

Subject : Initiation of Sunset Review Anti-Dumping investigation concerning imports of 'White Cement' originating in or exported from UAE and Iran.

No. 15/13/2011-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), definitive anti-dumping duty was originally recommended by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) on import of 'white cement (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from UAE and Iran (hereinafter referred to as the subject countries) vide notification No.64/1/2000-DGAD dated 30th August 2001. Whereas, upon 1st Sunset Review of the anti dumping duty imposed on the imports of the subject goods from the subject countries undertaken by the Designated Authority, the Authority recommended extension of anti dumping duties for a further period of five years vide notification No 15/6/2005-DGAD dated 27th February, 2007 and whereas the Ministry of Finance implemented the recommendation vide its Notification No 56/2007 – Customs dated 12th April 2007.

2. Whereas M/s J. K. White Cement Works (a unit of J. K. Cement Ltd.) and Birla White (a unit of Ultra tech Cement Ltd.) {also referred to as "petitioner companies" or "petitioners"}, provided relevant financial information for the review, continuation and enhancement of anti dumping duty in force on imports of White Cement from Iran and UAE. The petition is in the form and manner prescribed by the Designated Authority and contains prima facie

evidence for the continuation of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries. Further, the petitioners submit that the information contained in the petition fully justifies the initiation of the sunset review investigation.

3. Domestic Industry & Standing

The petition has been filed by J. K. White Cement Works and Birla White (referred to as petitioners or Petitioner Companies). The Petitioners' production accounts for 99.10% production of the subject goods in India, and hence constituting major proportion in Indian production. In view of the foregoing, it is submitted that the Petitioners satisfy the requirement of standing to file the present petition and the Petitioner Companies constitute 'Domestic Industry' as per the Anti Dumping Rules. Further, present investigation being a sunset review investigation, the issue of standing of the petitioner is not relevant

4. Product under consideration

The product under consideration is White cement. In the Final Findings dated August 30, 2001 of the original Anti-dumping investigation and subsequently confirmed by Designated Authority in its Final Findings dated 27th February 2007, Designated Authority defined product under consideration as under:

> *"The product under consideration is white portland cement commonly known as White Cement. White Cement is a construction material and it is Primarily used for non-structural purposes. It is used for architectural purposes, flooring tiles, cement based exteriors paints and cement wash (white wash). White Cement as low content of soluble alkalies and does not cause stain. White Cement is classified in Chapter 25 of the Custom Tariff Act (Section 5 of the Act, which pertains to Mineral Products) under the sub-heading 2523.21. The Customs and ITC HS classification is, however, indicative only and no way binding on the scope of the present investigation."*

Present investigation being a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the product over the period

5. Like Articles

Petitioner has submitted that the goods produced by the them are like article to the imported product from the subject countries in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The petition filed is for the review, continuation and enhancement of the anti-dumping duty in force and the issues of like article have been already dealt in previous investigations.

6. Subject Countries

The countries/territory involved in the present investigation is Iran & UAE (referred to as the 'Subject Countries').

7. Normal value

The petitioners have provided sales invoices of the price prevailing in domestic market of UAE. The normal value in UAE has been determined on the basis of weighted average price of the invoices. The price shown in the invoices is a bulk price. These selling prices have not been adjusted for any other expenses. The Normal value claims by the petitioners have been considered for the purposes of initiation.

8. Export Price

Petitioners have submitted the Eximnet India.com data to assess the volume and value of subject import in India. Export price has been determined on the basis of weighted average of the import price. Export price has been adjusted for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission and Port Expenses to arrive at the net export price.

9. Dumping Margin

The petitioners have provided sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net

export prices, prima-facie, indicating that the subject goods originating in or exported from the subject countries are being dumped, to justify sunset review initiation of an antidumping investigation.

10. Initiation

Thus, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to examine as to whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

11. Period of Investigation

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is from 1st January, 2011 to 31st December, 2011. However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., Apr'08-Mar'09, Apr'09-Mar'10, Apr'10-Mar'11 and the proposed period of investigation has been considered. For threat of material injury, the data beyond the POI would also be examined.

12. Submission of information

The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.

1284 GI/12-3

13. Time limit

Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of initiation of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

14. Submission of Information on Non-Confidential basis

All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

Notwithstanding anything contained in Para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

15. Inspection of Public File

In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. **Non-cooperation**

In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.